न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0289/2021 तारीख रजू:– 15.07.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

प्रताप पुत्र सरदार उम्र 65 साल जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद महावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— सायल

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र सरदार जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद (काले का पुरा) महावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. यादराम पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद (काले का पुरा) महावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. चेतराम पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद (काले का पुरा) महावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01,2

निर्णय

दिनांक :–22.09.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर अंकित किया है कि सायल ने गैरसायलान के खिलाफ इस न्यायालय में वाद पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.40 है0, 2038 रकबा 0.33 है0 ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान का उपरोक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायलान लठैत मुठमर्द तथा गिरोहबंध व्यक्ति हैं जो सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर सायल को [illegible] आराजी से बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

बास्ते पक्का निर्माण करने पर उतारू हैं। आये दिन सायल को तंग व परेशान करने लगे रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र सायल की स्वंय की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसमें सायल खातेदार के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 04.07. 2021 का सुबह करीब 9 बजे का है कि गैरसायलान अपने साथ हमराहीयान को लेकर आये तथा सायल की खातेदारी व कब्जे की आराजी में जबरन नाप तोल करने लगे, पूछने पर कहने लगे कि हमारे पास रिहायश की जमीन कम है। इसलिए हम यहाँ निर्माण करेंगे इस पर सायल द्वारा उन्हें समझाया कि उक्त आराजी मेरी खातेदारी व कब्जे की है। तुम्हारा इस जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर तुमने इस आराजी पर निर्माण कर लिया तो मेरी तो आराजी ही खत्म हो जावेगी तथा हम काश्त नहीं कर पायेंगे, तो हमारे बच्चे ही भूखे मर जायेंगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायल की खातेदारी व कब्जे की भूमि में निर्माण कर लिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार दृव्य में सम्भव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायला को कोई क्षति नहीं है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को ताफैंसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.33 है0 ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन में सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें। नाकाबिल काश्त नहीं बनावें। आराजी में होकर कोई पक्का निर्माण नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें, जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैरसायल सं01 व 2 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया [illegible] प्रार्थना पत्र का मद नं01 गलत है अस्वीकार है। सायल को प्रकरण [illegible] कोई आधार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है [illegible] विवादग्रस्त खसरा नम्बर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

सायल व गैरसायल सं01 की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है, अस्वीकार है। विवादग्रस्त आराजीयात सायल व गैरसायल सं01 की पुश्तैनी आराजीयात है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है, अस्वीकार है। इस मद में वर्णित सम्पूर्ण बाका एकदम गलत अंकित करवाया है, जिसमें लेशमात्र की सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 गलत है, अस्वीकार है। सायल के पक्ष में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुल एवं अपूर्तनीय क्षति का कोई सिद्धान्त साबित नहीं है।

विशेष विवरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.40 है0, 2038 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन की जमाबन्दी में सायल सं01 का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि मौके पर उक्त आराजीयात पर गैरसायल एवं सायल 1/2,1/2 हिस्से पर काबिज व दखील हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र को गैरसायल एवं सायल नं01 के मृतक पिता सरदार द्वारा खरीद किया था, उस समय गैरसायल एवं सायल नं01 अपने पिता सरदार के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे, एवं अपने पिता सरकार के सानिध्य में रहते थे, लेकिन सायल नं01, गैरसायल का बडा भाई एवं मृतक सरदार का बडा पुत्र होने के कारण आराजीयात विवादग्रस्त वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र का रजिस्टर्ड विकय पत्र मृतक सरदार ने सायल नं01 के हक में तकमील तस्दीक करवा दिया, जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण विकय धन की एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र के समस्त खर्चे की अदायगी गैरसायल एवं सायल नं01 के मृतक पिता सरदार द्वारा ही की गई एवं मृतक सरदार ने अपने जीवन काल में ही उक्त आराजीयात का गैरसायल एवं सायल नं01 के मध्य बहिस्सा बराबर 1/2,1/2 कर दिया एवं मौके पर उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार ही उक्त खसरा नम्बर वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र के 1/2,1/2 हिस्से पर गैरसायल एवं सायल नं01 आज दिन तक काबिज व दखील हैं इस प्रकार गैरसायल का प्रथम दृष्टया केस ब[illegible] है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 2037,2038 स्थित ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन बाबत् पूर्व में ही गैरसायल एवं सायल नं01 के मध्य बाहमी बंटवारे [illegible] लेकर विवाद की स्थिति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उत्पन्न हो चुकी है, जिसके कारण पूर्व में ही गैरसायल एवं सायल नं01 के मध्य मुकदमेबाजी न्यायालय में विचाराधीन रही है। लेकिन समाज व परिवार के गणमान्य व्यक्तियों ने गैरसायल एवं सायल नं01 के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा करवा दिया, उक्त राजीनामा की एक लिखावट 50/–रूपया के स्टाम्प पर दोनों भाईयों के मध्य दिनांक 18.03.2012 में स्वंय सायल नं01 द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र के 1/2 हिस्से को गैरसायल के नाम कराने का मुहायदा भी किया। उक्त राजीनामें के आधार पर पूर्व में समस्त मुकदमेबाजी गैरसायल एवं सायल द्वारा सहमति के आधार पर फैंसल करवायी जा चुकी है। लेंकिन अब पुनः सायल के दिमाग में बदयान्ति व्याप्त हो चुकी है और वह रिकार्ड का बेजा लाभ उठाकर आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र विवादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर सायल का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायल ने समस्त मेटेरियल फैक्ट को छिपाकर हाईड एण्ड सीक के आधार पर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो हर आईने में खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत पेश में फोटो प्रति 50/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई लिखावट एवं फोटो प्रति 50/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई पंचनामा की लिखावट पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 – 74 के अनुसा[illegible] आराजी खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.40 है0, 2038 रकबा 0.33 है0 कुल [illegible] रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन [illegible] पुत्र सरदार हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति 50/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई लिखावट में अंकित किया है कि लिखावट लिख दीनी श्री परताव पटेल पुत्र श्री सरदार पटेल निवासी नौरंगाबाद ने श्री हरि पुत्र श्री सरदार पटेल निवासी नौरंगाबाद को।

1. यह है कि, परताव पटेल के नाम केशरिया वाला खेत जो लगभग 3 बीघा है इसमें दोनो भाई 1/2,1/2 के हिस्सेदार है। जरूरत पडने पर परताव पटेल हरि को 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री करवा देगा।
2. परताव पटेल एवं भण्डारया के बदले में बचत की कोठी पर लगभग एक बीघा जमीन आयी है। इसमें दोनों भाई 1/2,1/2 के हिस्सेदार हैं।
3. हरि को कोठी वाले खेत के बदले की जमीन को एवज में परताव` हरि भाई वाला खेत 27 एयर की रजिस्ट्री करवा दी है।
4. हरि एवं श्री कुन्दन के श्रीलाल, हरस्वरूप, वगैराह के बदले में कोठी पर जो जमीन बचत में आयेगी उसमें एक बीघा जमीन में दोनों भाई 1/2,1/2 के हिस्सेदार हैं।
5. नाई वाले खेत के पास जो आम रास्ता है उस रास्ते से चिन्तामणी के खेत की डोल की बगल बगल में 12 फुट का रास्ता सियाराम भण्डारया के खेत तक निकाला है। इस रास्ते की जमीन में दोनों भाईयों की हिस्सेदारी है। रास्ते की जमीन में जो जमीन जावेगी उसमें दोनों की जमीन बराबर जावेगी तथा जिसकी ज्यादा जमीन जावेगी उसे दूसरा भाई जमीन काट देगा।

यह लिखावट आपस में मिल बैठकर लिख दीनी है। यह लिखावट बिना नशे पते के पूर्ण होश —हबास में लिख दीनी है। इसमें जो कोई फिरेगा वह राज पंच में झूठा होगा। उक्त लिखावट पर सायल एवं गैरसायल प्रताप व हरी की की निशानी अंकित हैं तथा यादराम गुर्जर एवं अन्य के हस्ताक्षर हैं।

फोटो प्रति 50/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई पंचनामा की लिखावट दिनांक 27.07.2021 में अंकित किया है कि आज दिनांक 27.07.2021 को हरीसिंह गुर्जर पुत्र श्री सरदार गुर्जर निवासी काडेन का पुरा नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन तीनों गांव बडा चांदनगांव, अकबरपुर, नौरंगाबाद के 60 बिस्वा पंच पटैलों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक पंचायत बाहर दरी बालाजी मन्दिर श्रीमहावीरजी पर बुलाई गयी, जिसमें हरीसिंह व उसके भाई प्रताप के जमीन के बीच विवाद के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। जिसमें पंचों द्वारा सर्व सम्मति से निम्न प्रकार फैंसला लिया गया—

1. यह कि, भूमि खसरा नम्बर 2038 रकबा 33 एयर (केशरिया वाला खेत) ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन में स्थित है, जो प्रताप पुत्र सरदार गुर्जर निवासी नौरंगाबाद के नाम खातेदारी की है [illegible] से 20 एयर भूमि का बंटवारा किया गया, जिसमें दोनों भाईयों हरीसिंह व प्रताप को आधा आधा हिस्से का मालिक काश्तकार [illegible] किया गया। [illegible] 20 एयर भूमि चिन्तामणी के खेत से लगती हुई है तथा शेष 13 एयर [illegible] जो हरस्वरूप वगैराह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

कब्जे में है, जो 20 एयर भूमि का बंटवारा किया गया है इस भूमि को प्रताप किसी दीगर व्यक्ति को रहन विक्रय हीं कर सकेगा ना ही इस भूमि को कोई व्यक्ति खरीद सकेगा। यह पंचनामा राजीखुशी होश हबाश सर्व सम्मति से 50/—रूपया के स्टाम्प पर फैंसला लेकर लिखा गया है तथा इस फैंसले को प्रताप मान्य करेगा यदि नहीं करता है तो राज पंच में झूठा माना जायेगा। जो वक्त जरूरत काम आवे। उक्त पंचनामा पर श्री, अतरसिंह पटैल, जैसी गुर्जर, उमरावसिंह, हरीचरण, दयाराम, रामराज, व अन्य के हस्ताक्षर व निशानी अंकित हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.40 है0, 2038 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रताप पुत्र सरदार हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा फोटो प्रति 50/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई लिखावट के अनुसार लिखावट श्री परताव पटेल पुत्र श्री सरदार पटेल निवासी नौरंगाबाद ने श्री हरि पुत्र श्री सरदार पटेल निवासी नौरंगाबाद के हक में लिखी गई है जिसके अनुसार उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर गैरसायल हरी का मौके पर कब्जा काश्त है। पक्षकारान के मध्य ओर विवाद नहीं बढे इस सम्बन्ध में गैरसायल हरी के द्वारा एक पंचायत भी बुलाई गई तथा गांव के गणमान्य व्यक्तियों से सायल को समझाने का भी प्रयास किया जाना सही प्रतीत होता है। जो गैरसायल द्वारा प्रस्तुत उक्त पंचनामा की लिखावट से स्पष्ट है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। गैरसायलान ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजीयात को सायल एवं गैरसायल सं01 के पिता सरदार के द्वारा उक्त भूमि को संयुक्त परिवार में रहते हुए खरीद किया है तथा सरदार का बड़ा पुत्र प्रताप होने के कारण उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायल के हक में करा दिया था। जिस वक्त उक्त भूमि क्रय की गई थी उस समय सायल एवं गैरसायलान एक संयुक्त परिवार में ही रहते थे। जिनके बीच जमीन की खातेदारी के सम्बन्ध में कोई मनमुटाव नहीं था क्योंकि मौके पर तो सायल एवं गैरसायल सं01 बराबर बराबर हिस्से पर काबिज थे। वर्तमान में सायल उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जबकि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किये जाने पर सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि सायल उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार है। [illegible] के अधिकार दावे में सुरक्षित है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस, [illegible]धा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के [illegible] में साबित [illegible]ता है बल्कि गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 15.07.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:41:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner